"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शनिवार, दिनांक 19 फरवरी 2011—माघ 30, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी, 2011 (माघ 30, 1932)

क्रमांक-41/विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011

वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीगसढ़ विनियोग अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये राज्य की संचित निधि में से रु. 11,49,82,70,600/- का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए रु. ग्यारह सौ उनचास करोड़, बियासी लाख, सत्तर हजार, छः सौ होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3) विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	32,57,000	0	32,57,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	12,21,000	0	12,21,000
03	पुलिस	राजस्व	59,91,03,000	0	59,91,03,000
05	जेल	राजस्व	14,90,000	0	14,90,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	74,01,100	0	74,01,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	24,43,00,100	0	24,43,00,100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	14,00,47,000	0	14,00,47,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	34,44,000	0	34,44,000
10	वन	राजस्व	76,22,33,000	0	76,22,33,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,16,87,000	0	1,16,87,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,03,000	0	3,03,000
13	कृषि	राजस्व	3,46,13,000	1,80,000	3,47,93,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,97,36,000	0	6,97,36,000
17	सहकारिता	राजस्व	4,14,48,000	0	4,14,48,000
18	श्रम	राजस्व	2,42,70,000	0	2,42,70,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	4,88,20,000	0	4,88,20,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,13,00,000	0	1,13,00,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	48,26,000	0	48,26,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	32,76,87,000	0	32,76,87,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	12,37,00,000	0	12,37,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,88,20,000	0	1,88,20,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	200	0	200
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	0	17,10,000	17,10,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,05,29,73,000	0	1,05,29,73,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	53,50,000	0	53,50,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	21,05,00,000	0	21,05,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	65,85,000	0	65,85,000
35	पुनर्वास	राजस्व	4,27,000	0	4,27,000
36	परिवहन	राजस्व	1,61,06,000	0	1,61,06,000
37	पर्यटन	पूंजी	10,16,80,000	0	10,16,80,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,50,60,16,000	0	2,50,60,16,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,15,000	0	1,15,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,11,42,79,000	0	3,11,42,79,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	5,90,00,000	0	5,90,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	1,86,30,000	0	1,86,30,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	9,50,00,000	0	9,50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,24,00,000	0	6,24,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	26,32,00,000	0	26,32,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	5,05,11,000	0	5,05,11,000
		पूंजी	1,82,00,000	0	1,82,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	1,20,70,000	0	1,20,70,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	98,70,60,000	0	98,70,60,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	23,70,72,000	0	23,70,72,000
		पूंजी	19,25,00,000	0	19,25,00,000
	योग -	**राजस्व**	**11,00,13,00,500**	**18,90,000**	**11,00,31,90,500**
		पूंजी	**49,50,80,100**	**0**	**49,50,80,100**
		वृहद योग	**11,49,63,80,600**	**18,90,000**	**11,49,82,70,600**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 14 फरवरी, 2011

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.